संख्या- 4/2017/244/84-1-17-सीपी-31/99

प्रेषक,

डा0 जटा शंकर त्रिपाठी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 21 मार्च, 2017

विषय- जिला फोरमों के सुदृढीकरण योजना के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में गैर भवन मद में भारत सरकार की राजकोष में जमा की गयी धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-12439/एस0सी0डी0आर0सी0/यू0पी0/के0स0-1-2007-2, दिनॉक 20.03.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व वष में भारत सरकार द्वारा इन्टीग्रेटेड प्रोजेक्ट आन कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन योजना के अन्तर्गत जिला फोरमों के सुदृढीकरण हेतु गैर भवन मद में उपलब्ध करायी गयी अवशेष धनराशि जिसे विभिन्न जिला फोरम द्वारा राजकोष में जाम किया गया है के समतुल्य जिला फोरम जौनपुर, गोण्डा, रामपुर, जे0पी0 नगर, लखीमपुरखीरी, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, बहराइच, गाजीपुर, महाराजगंज, संतरविदासनगर, बलिया, एटा, बाराबंकी, कानपुर देहात, गौतमबुद्ध नगर, सहारनपुर, सीतापुर, जालौन, गाजियाबाद, बरेली-द्वितीय, बुलन्दशहर, हाथरस, कौशाम्बी, गोरखपुर, वाराणसी, बलरामपुर, फर्रूखाबाद, फैजाबाद, फतेहपुर, लखनऊ-प्रथम, हमीरपुर, मुजज्फरनगर, सिद्धार्थनगर, ललितपुर, स0र0न भदोही, देवरिया, चन्दौली, प्रतापगढ, मेरठ, आजमगढ, आगरा-प्रथम, संतकबीरनगर, बस्ती, मथुरा, हरदोई, सोनभद्र, इटावा, लखनऊ-द्वितीय, चित्रकूट, बदायूं, उन्नाव, सुल्तानपुर, मऊ, आगरा-द्वितीय, झांसी एवं कन्नौज जिला फोरम हेतु राजकोष में जमा की गयी धनराशि के सापेक्ष कुल रू060,11,000/- (रूपये साठ लाख ग्यारह हजार मात्र) को व्यय करने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु स्वीकृत की जा रही है।
(2) धनराशि का उपयोग करते समय वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों स्थायी आदेशों एवं स्टोर पर्चेज नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा। धनराशि को पी0एल0ए0 व बैंक एकाउण्ट में नहीं रखा जायेगा तथा धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किये जाने हेतु शासन को प्रेषित किया जायेगा ।
(4) उक्त धनराशि सम्बन्धित जनपद के अनुमन्य आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उक्त जनपदों की आवश्यकता पूर्ति हेतु व्यय की जायेगी।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष-"3456-सिविलपूर्ति-आयोजनागत-001-निदेशन तथा प्रशासन-06-उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग एवं जिला फोरमों का अधिष्ठान के अन्तर्गत मद संख्या-12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप-1/2016/बी-1-746/दस-16-231/2016, दिनांक 22.03.2016 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय,
डा0 जटा शंकर त्रिपाठी
उप सचिव।

संख्या- 4/2017/244(1)/84-1-17-तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-2/खाद्य एवं रसद अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(डा0 जटा शंकर त्रिपाठी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in